



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-299/2022 दिनांक 28.10.2022)

दिनांक- 28.10.2022 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

महिला की हत्या के घटना का सफल अनावरण, आरोपी अभियुक्त किया गया गिरफ्तार आलाकत्ल एक अदद लोहे की रॉड बरामद-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री संदीप वर्मा के कुशल नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 27.09.2022 को थाना रामकोला क्षेत्रान्तर्गत एक महिला की हुयी हत्या की घटना में थाना रामकोला पर मु0अ0सं0-326/2022 धारा-302/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे जिसके क्रम में आज दिनांक 28.10.2022 को थाना रामकोला व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए धर्मसमधा मन्दिर रामकोला के पास से एक नफर अभियुक्त प्रवीन उर्फ प्रदीप पाल पुत्र रामअजोर पाल साकिन गहनो खिहारन बारून बाजार थाना इनायत नगर जनपद अयोध्या को गिरफ्तार कर आलाकत्ल एक अदद लोहे की रॉड बरामद किया गया।

घटना कारित करने का कारण:-

मृतका के गाँव के ही रहने वाले रामदास पुत्र रघु निवासी मेहदीगंज थाना रामकोला जनपद कुशीनगर एक वर्ष पहले मुम्बई में अपने पूरे परिवार के साथ रहकर विल्डिंग बनवाने का काम करता था,वही पर अभियुक्त प्रवीन उर्फ प्रदीप पाल उपरोक्त भी उनके साथ ही काम करता था। अभियुक्त प्रवीन उर्फ प्रदीप पाल की लड़की से एकतरफा प्यार करने लगा जिससे अभियुक्त रामदास की लड़की से बार बार मिलने का प्रयास करता था अभियुक्त से परेशान होने के कारण रामदास अपने परिवार को लेकर अपने गाँव मेहदीगंज आकर रहने लगा। अभियुक्त एकतरफा प्यार में लड़की से शादी करने का तथा घर से भागने का दबाव बनाता था ऐसा न करने पर उसके द्वारा पूरे परिवार को फसाने की धमकी दी जाती थी। घटना के दिन रात्रि में मृतका पूजा घर में अकेला देखकर अभियुक्त द्वारा रामदास के परिवार को फसाने के उद्देश्य से लोहे की रॉड से वार कर मृतका की हत्या कर दिया गया और घटना स्थल पर अंकित किया गया कि रामदास और रामदास के लड़के इस हत्या के जिम्मेदार हैं।



गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रवीन उर्फ प्रदीप पाल पुत्र रामअजोर पाल साकिन गहनो खिहारन बारून बाजार थाना इनायत नगर जनपद अयोध्या

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0-326/2022 धारा-302/506 भादवि

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 142/22 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना बोरबली मुम्बई

विवरण बरामदगी:-

1. आलाकत्त एक अदद लोहे की रॉड
2. एक अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री नीरज कुमार राय थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
2. व0 उ0नि0 श्री आलोक कुमार यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 श्री शरद भारती सर्विलांस प्रभारी जनपद कुशीनगर
4. का0 रामप्रकाश यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
5. का0 अंगद यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
6. का0 शुभम वर्मा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
7. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ए शम्मी कुमार सर्विलांस सेल जनपद कुशीनगर
8. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ए सुशील कुमार सिंह सर्विलांस सेल जनपद कुशीनगर

अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही:-

थाना तरयासुजान-

थाना तरयासुजान पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त अजय कुमार यादव पुत्र रामसागर यादव सा0 बेनीपुर थाना बहेरा जनपद दरभंगा बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 48 शीशी 8पीएम अंग्रेजी शराब बरामद कर मु0अ0सं0-512/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित में की गयी कार्यवाही-

थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा चोरी गये ट्रक को बरामद कर दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 369/22 धारा 379 भादवि0 से संबंधित

चोरी गये ट्रक नं0 UP 57 BT 7525 को 07 घण्टे के अन्दर कार्यवाही करते हुए गंगा ब्रीज हाजीपुर जिला वैशाली (बिहार) से आज दिनांक 28.10.2022 को दो नफर अभियुक्त 1.हरेन्द्र राय पुत्र लाल देव राय निवासी सहदेई बुजुर्ग थाना सहदेई जनपद वैशाली बिहार, 2.विनय कुमार पुत्र बिहारी शर्मा निवासी वार्ड नं0 09 गांव पहाडपुर थाना चझडी भथाखार नालंदा नगरनौसा (बिहार) हा0पता मिठापुर पुरवी ठेलवा थाना रामकृष्णा नगर जिला पटना (बिहार) को गिरफ्तार कर चोरी गये ट्रक को बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 369/22 धारा 379/411 भादवि0

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.हरेन्द्र राय पुत्र लाल देव राय साकिन सहदेई बुजुर्ग थाना सहदेई जनपद वैशाली बिहार।

2.विनय कुमार पुत्र बिहारी शर्मा साकिन वार्ड नं0 09 गांव पहाडपुर थाना चझडी भथाखार नालंदा नगरनौसा बिहार हा0पता मिठापुर पुरवी ठेलवा थाना रामकृष्णा नगर जिला पटना बिहार।

बरामदगी का विवरण-

एक अदद ट्रक नम्बर UP 57 BT 7525

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री आशुतोष सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

2.निरी0 श्री धनन्जय राय थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

3.का0 आनन्दी कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

4.का0 ऋषि पटेल थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

5.का0 विश्वजीत कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.10.2022 को थाना को0 पडरौना पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत पर मु0अ0सं0 79/17 धारा 147,304,120बी भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बलिराम उर्फ बुलटेन पुत्र नरायन उर्फ रामनरायन निवासी सेमरा हर्दो थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 79/17 धारा 147,304,120बी भा0द0वि0

गिरफ्तार अभियुक्त-



बलिराम उर्फ बुलटेन पुत्र नरायन उर्फ रामनरायन निवासी सेमरा हर्दो थाना कुबेरस्थान
जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र० नि० श्री राजप्रकाश सिंह थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
2. नि० श्री संजय शाही थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
3. का० अनिल यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
4. का० विरेन्द्र विक्रम थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

थाना हाटा-

थाना हाटा पुलिस टीम द्वारा तीन नफर वांछित अभियुक्त 1. निखिल कुमार पुत्र ओंकार नाथ नि० अथरहा थाना को० हाटा जनपद कुशीनगर, 2. अजय कुमार पुत्र हरिश्चन्द्र प्रसाद नि० अथरहा थाना को० हाटा जनपद कुशीनगर, 3. इमरान अली पुत्र मुस्तफा अली नि० अथरहा थाना को० हाटा जनपद कुशीनगर को सम्बंधित मु० अ० सं० 630/2022 धारा 147, 148, 323, 507 भादवि में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-**

*

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 44 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-01, ई-चालान-27 वाहन।
2. 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु०-30, व्यक्ति-100
3. आबकारी अधि० में की गयी कार्यवाही मु०-01, अभि०-01, बरामदगी- 48 शीशी 8पीएम अंग्रेजी शराब
4. वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी-(कुल-07)
- *4. जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-52)*

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

